ओ० नं०/41/21

अधीक्षण अभियंता का कार्यालय
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, औरंगाबाद

पत्रांक 482... औरंगाबाद/ दिनांक 01/04/2021

प्रेषक,

अधीक्षण अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमण्डल, **जहानाबाद।**

विषयः ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **जहानाबाद** के अधीन शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) अन्तर्गत **N H 83 Se Gangachak** तक पथ निर्माण एवं पांचवर्षीय रख–रखाव कार्य **(Tender ID- 2020_ ECBIH_97765)** के निविदा की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंगः आपका पत्रांक 656 अनु0 दिनांक 23.03.2021

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित किया जाता है कि योजना शीर्ष मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY) अन्तर्गत NH 83 Se Gangachak तक पथ निर्माण एवं पांचवर्षीय रख–रखाव कार्य (Tender ID-2020_ECBIH_97765) के लिए आपके अनुशंसा के आलोक में सफल निविदाकार **Shri Surendra Kumar, At-Satsang Nagar, Raja Bazar, Jahanabad District-Jahanabad (Bid ID-421043)** को उदृत दर परिमाण विपत्र की दर से 2.56% (दो दशमलव पांच छ प्रतिशत) कम अर्थात 36,94,234.00 (छतीस लाख चौरान्वे हजार दो सौ चौतीस) रूपया मात्र होगी, जिसे निम्ननलिखित शर्तों के साथ अनुमोदित किया जाता है।

कार्यादेश निर्गत करने से पूर्व कार्यपालक अभियंता अग्रधन सत्यापन कर सत्यापन प्रतिवेदन अद्योहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. निविदा की स्वीकृति सिर्फ इसी कार्य के लिए है जो भविष्य में पूर्वाधरण नहीं होगा।
2. संवेदक के द्वारा एकरारनामा के लिए जमा की गई राशि एवं निविदा के साथ जमा की गई अग्रधन की राशि से संबंधित एन0 एस0 सी0/किसान विकास पत्र/बैंक गारंटी आदि का सत्यापान संबंधित डाकघर से कराकर प्रमंडलीय कार्यालय में अभिलेख के रूप में एकरारनामा के साथ रखा जायेगा।
3. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, **जहानाबाद** निविदा में संलग्न कागजातों की सत्यता की जांच कराकर संतुष्ट हो लेंगे।
4. एकरारनामा के समय निविदाकर से मासिक कार्य योजना लिखित रूप से प्राप्त कर लिया जायेगा, जो एकरारनामा का अंश होगा।
5. कार्य में अव्यहृत सामग्रियों का दर प्राक्कलन में स्वीकृत के आधार पर दिया गया है। कार्य करते समय अगर इनमें कमी हो जाती है तो उसके सापेक्ष दर में कमी कर दी जायेगी।
6. इस कार्य के संबंध में ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत प्रशासनिक स्वीकृति एवं प्रावैधिक स्वीकृति तथा निविदा आमंत्रण सूचना में उल्लेखित शर्त एकरारनामा का भाग होगा जिसे विशेष शर्त में जोड़कर संवेदक के साथ एकरारनामा किया जायेगा।
7. एकरारनामा के समय प्रत्येक मद के भाषा की शुद्धता की जाँच कार्यपालक अभियंता स्वयं कर लेंगे तथा सभी तरह से संतुष्ट होकर एकरारनामा करेंगे।

8. कार्यारम्भ के पूर्व कार्यपालक अभियंता कार्य स्थल के निरीक्षणोपरान्त स्थल की स्थिति एवं प्राक्कलन में उपलब्ध किये गये उपबंध से पूरी तरह आश्वस्त हो लेंगे एवं प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार प्रारूप में दिये गये निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

9. एकरारनामा के समय संवेदक से कार्य प्रोग्राम प्राप्त कर लेंगे जो एकरारनामा का एक भाग होगा।

10. कार्यपालक अभियंता विशेष रूप से ध्यान देंगे कि कार्य विशिष्टियों के अनुरूप निर्धारित कार्य अवधि के अन्दर पूरा हो जाय। हर हालत में कार्य की विशिष्टि एवं गुणवत्ता बरकरार रखा जाय।

11. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, औरंगाबाद अश्वस्त हो लेंगे कि संबंधित संवेदक का नाम डिबार सूची/काली सूची में सम्मिलित नहीं है।

12. सफल संवेदक के साथ शीघ्रताशीघ्र एकरारनामा वित्त अधिनियम के तहत 21 दिनों के अंदर कार्य प्रारम्भ कराया जाय। एकरारनामा करने के लिए संवेदक को 14 दिनों का समय दिया जाय। उस समय–सीमा के अन्दर सभी कागजातों के साथ उपस्थित नहीं होने एवं एकरारनामा नहीं करने पर अद्योहस्तक्षरी को अवगत कराया जाय ताकि आवंटन रद्द करने की कार्रवाई की जा सके।

13. इस कार्य का व्यय <u>मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना (MMGSY)</u> मद की राशि से विकलित होगा।

14. कार्य का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महीने की सातवीं तारिख तक निश्चित रूप से देना है।

15. एकरारनामा करते समय यह प्रावधन किया जाय कि संवेदक त्रुटिपूर्ण सामग्रियों के आपूर्ति के लिये पूर्णतः दोषी पाये जायेंगे।

16. यदि सफल निविदाकार विभाग में निबंधित नहीं है तो एकरारनामा के पूर्व उन्हें विभाग में विधिवत निबंधित कराना आवश्यक होगा।

17. संबंधित कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि यह कार्य किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं किसी अन्य एजेन्सी के द्वारा इसका कार्य नहीं कराया जा रहा है।

18. इस कार्य पर होने वाले व्यय के वित्तीय एवं तकनकी स्वीकृति की राशि के अन्तर्गत ही रखा जाय। एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे कि संवेदक के पास पूर्व में कोई कार्य लंबित नहीं है।

19. निविदा में किसी प्रकार की त्राुटि पाये जाने पर इसकी सूचना यथाशीघ्र अंचलीय कार्यालय को भेजी जाये एवं निर्देश प्राप्त होने पर निविदा पर अग्रेतर कार्रवाई स्थगित रखा जाय।

20. सभी निविदा कागजात एवं तुलनात्मक विवरणी की मूल कागाजात अग्रेतर कार्रवाई हेतु वापस लौटायी जा रही है।

21. कार्यपालक अभियंता एकरारनामा के पूर्व संवेदक द्वारा समर्पित अनुभव प्रमाण–पत्र की शुद्धता की जांच कर लेंगे। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर एकरारनामा नहीं करेंगे तथा अद्योहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे। साथ ही साथ यंत्र–सयंत्र की उपलब्धता के संबंध में भी अश्वस्त हो लेंगे।

22. संबंधित कार्यपालक अभियंता विभागीय प्रावधानों के अनुरूप संवेदक से एकरारनामा करने के पूर्व वांछित परफरमेन्स गारंटी की राशि जमा कराना सुनिश्चित करेंगे जो एकरारनामा का भाग होगा।

कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दें।

विश्वासभाजन

अनु0– यथोक्त।

अधीक्षण अभियंता
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य अंचल, औरंगाबाद।

20/04/21